

Eastern Railway
(Personnel Department)
17, N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No. 193/2018

No. E/SPC/2008/Policy/Pt.III

Kolkata, Dated: 29/10/2018

All Concerned

(as per standard list)

Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008-Section II of the Part 'A' of the First Schedule thereto-entry pay for direct recruits appointed on or after 1.1.2006 and pay fixation in the case of persons other than such direct recruits.

The instructions of Ministry of Railways (Railway Board) on the above subject issued vide their letter No.PC-VI/2018?I/RSRP/1 dated 12/10/2018 (PC-VI/389, RBE. No. 158/2018) are communicated herewith along with their enclosures containing a copy of Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 8-23/2017-E.III A dated 28/09/2018 with Hindi version, for information and necessary action.

Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 notified vide RBE No. 103/2008 mentioned therein, was circulated under this office serial circular No. 87/2008

DA: As above.

Ar:

(Anjan Ray)

Dy. Chief Personnel Officer/Gaz.

For Pr. Chief Personnel Officer

Phone No.:24104 (Rly.)

.....
Index No. 1057: In case entry pay as per Section II of Part 'A' of RS(RP) Rules, 2008 is applicable to a post due to the relevant RR and the pay of Railway employees appointed to such a post prior to 01/01/06 shall not be less than the prescribed entry pay w.e.f. 01/01/06 for direct recruits of that post. Similarly, the pay of the employees promoted on or after 01/01/2006 shall also not be less than such entry pay from the date of promotion taking place on or after 01/01/2006.

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

S.No.PC-VI/ 389

RBE No. 158/2018

No. PC-VI /2018/I/RSRP/1

New Delhi, dated 12.10.2018

The General Managers
All Indian Railways & PUs,
(As per mailing list)

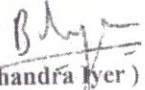
Sub: Railway Services(Revised Pay) rules, 2008-Section II of the Part'A' of the First Schedule thereto- entry pay for direct recruits appointed on or after 1.1.2006 and pay fixation in the case of persons other than such direct recruits.

A copy of Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 8-23/2017-E.IIIA dated 28.9.2018 on the above subject is enclosed for information and compliance. These instructions shall apply mutatis mutandis on the Railways also.

2. A concordance of Ministry of Finance's instructions referred to in the enclosed Office Memorandum and Railway Board's corresponding instructions are given below:-

S. No	No. and date of notification issued by Ministry of Finance's O.M./Orders	No. and date of corresponding notification issued by Ministry of Railways (Railway Board).
1	Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 notified vide G.S.R. 622(E) dated 29.8.2008.	Railway Services (Revised Pay) Rules 2008 notified vide G.S.R. 643(E) dated 04.09.2008 (RBE No.103/2008).

3 This issues with concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

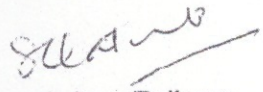

(S.Balachandra Iyer)
Executive Director, Pay Commission-II
Railway Board

Pay & Accounts Officer,
Ministry of Railways,
Railway Board, New Delhi.

No.PC-VI/2018/I/RSRP/1

New Delhi, dated 12.10.2018

Copy to : Deputy Controller and auditor General of India(Railways), Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).


For Financial Commissioner/Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

पीसी-VI सं. 389
सं.पीसी-VI/2018/आई/आरएसआरपी/1

आरबीई सं. 158/2018
नई दिल्ली, दिनांक 12.10.2018

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची के भाग 'क' का खण्ड-II
01.01.2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों का शुरुआती
वेतन और ऐसे भर्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों के मामले में
वेतन निर्धारण।

उपर्युक्त विषय पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 28.09.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं.
8-23/2017-ई.।।-ए की एक प्रति सूचना एवं अनुपालन के लिए संलग्न है। ये अनुदेश यथोचित परिवर्तनों
सहित भारतीय रेलों में भी लागू होंगे।

2. संलग्न कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट वित्त मंत्रालय के निर्देशों और रेलवे बोर्ड के संबंधित निर्देशों का
समन्वय नीचे दिया गया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008; अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 29.08.2008	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008; अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 643(अ), दिनांक 04.09.2008 (आरबीई संख्या 103/2008)

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्न: यथोक्त।

वा. 31.10.18

(एस. बालाचंद्र अय्यर)

कार्यकारी निदेशक, वेतन आयोग- II
रेलवे बोर्ड

वेतन एवं लेखा कार्यालय,
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड),
नई दिल्ली- 110001

सं.पीसी-VI/2018/आई/आरएसआरपी/1

नई दिल्ली, दिनांक 12.10.2018

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को
अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियां सहित)

रतनजी मौर्य
कृते वित्त आयुक्त, रेलें.

No. 8-23/2017-E.IIIA
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
28th September, 2018

Office Memorandum

Subject: Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 - Section II of the Part 'A' of the First Schedule thereto- entry pay for direct recruits appointed on or after 1.1.2006 and pay fixation in the case of persons other than such direct recruits.

The undersigned is directed to invite the attention to the provisions contained in Section-2 of Part 'A' of the First Schedule of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 which provides for entry pay in the revised pay structure (pay structure effective from 1.1.2006 up to 31.12.2015) for direct recruits appointed on or after 1.1.2006 on a post and to say that pay in respect of persons appointed to the same posts before 1.1.2006 is required to be fixed as on 1.1.2006 under Rule 7 (1)(A)(i) and pay in respect persons appointed on the same post on promotion on or after 1.1.2006 is required to be fixed under Rule 13 thereof.

2. A number of references were received in Ministry of Finance, Department of Expenditure, stating that the pay of seniors of a post was fixed at a stage lower than the entry pay applicable to the persons appointed on direct recruitment basis on that post on or after 1.1.2006. In such cases, stepping of pay was allowed to the senior employee at par with the entry pay of direct recruits of those posts, subject to the conditions, inter-alia, that stepping up of pay of seniors is applicable only in those cases which have an element of direct recruitment and where a directly recruited junior is actually drawing more basic pay than the seniors. Thus, the stepping up of pay of senior employees was admissible from the date a junior direct recruit joined on or after 1.1.2006.

3. The matter was also considered in the meeting of the National Anomaly Committee (NAC) held on 17.7.2012 based on a demand raised by the Staff Side under the JCM. NAC had recommended that in cases where Recruitment Rules provide for direct recruitment, then the stepping up of pay of senior may be considered, even if no actual direct recruitment takes place or no direct recruit has actually joined. However, it was decided that stepping up of the pay of seniors can be claimed only in the case of those cadres which have an element of direct recruitment and in cases where a directly recruited junior is actually drawing more basic pay than the seniors. Thus, stepping up of pay was dependent upon actual joining of a direct recruit.



सं. 8-23/2017-ई.III-ए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 28.09.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग 'क' का खंड 2 - 01.01.2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों का शुरुआती वेतन और ऐसी सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों के मामले में वेतन निर्धारण।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग 'क' के खंड-2 में निहित प्रावधानों, जिसमें किसी पद पर 01.01.2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना (01.01.2006 से 31.12.2015 तक प्रभावी वेतन संरचना) में शुरुआती वेतन का प्रावधान है, की ओर ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि 01.01.2006 से पहले समान पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में वेतन का निर्धारण, नियम 7(1)(क)(i) के तहत 01.01.2006 की स्थिति के अनुसार किया जाना अपेक्षित है और 01.01.2006 को या उसके बाद समान पद पर पदोन्नति पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में वेतन का निर्धारण नियमावली के नियम 13 के तहत किया जाना अपेक्षित है।

2. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को अनेक संदर्भ प्राप्त हुए थे, जिनमें यह उल्लेख किया गया था कि वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन, 01.01.2006 को या उसके बाद उसी पद पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू शुरुआती वेतन की तुलना में निचले स्तर पर निर्धारित किया गया था। ऐसे मामलों में, वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर, उन पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के शुरुआती वेतन के बराबर किए जाने की अनुमति, अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर दी गई थी कि वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन केवल उन्हीं मामलों में बढ़ाया जा सकेगा जिनमें सीधी भर्ती का कारक हो और जहां सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कर्मचारी, वरिष्ठ कर्मचारियों से अधिक मूल वेतन वास्तव में आहरित कर रहा हो। इस प्रकार, वरिष्ठ कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कर्मचारी के 01.01.2006 को या उसके बाद कार्य ग्रहण करने की तारीख से स्वीकार्य थी।

3. संयुक्त परामर्श तंत्र (जेसीएम) के तहत कर्मचारी पक्ष द्वारा उठायी गई मांग के आधार पर 17.07.2012 को हुई राष्ट्रीय विसंगति समिति (एनएसी) की बैठक में भी इस मामले पर विचार किया गया था। एनएसी ने सिफारिश की थी कि ऐसे मामलों में, जहां भर्ती नियमों में सीधी भर्ती का प्रावधान हो, वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन बढ़ाए जाने पर विचार किया जाए चाहे कोई सीधी भर्ती न की गई हो या सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति ने वास्तव में कार्य ग्रहण न किया हो। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन वृद्धि का दावा केवल उन्हीं संवर्गों के मामलों में किया जा सकता है जिनमें सीधी भर्ती का कारक हो और जहां सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कोई कनिष्ठ कर्मचारी, वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन से अधिक मूल वेतन वास्तव में आहरित कर रहा हो। इस प्रकार, वेतन वृद्धि, सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त किसी कर्मचारी के वास्तव में कार्य ग्रहण करने पर निर्भर थी।

4. Trained Graduate Teachers (TGTs) of the Government of National Capital Territories of Delhi (GNCTD) filed an OA No. 3217/2014 before the Hon'ble Principal Bench of CAT. The 13 petitioners of the post of Trained Graduate Teachers (TGT) comprised those who were appointed as TGT before 1.1.2006 as also those who were promoted to the post of TGT on or after 1.1.2006. The pay of these 13 employees had been fixed as per the relevant provisions of the CCS(RP) Rules, 2008 and the same happened to be lower than the entry pay as applicable to direct recruits of the post of TGT appointed on or after 1.1.2006. These petitioners prayed for re-fixing their pay as applicable to direct recruits appointed on or after 1.1.2006.
5. The Hon'ble Principal Bench of CAT in their order dated 4.4.2016 in OA No.3217/2014 allowed the application and directed the Government to ensure that none of the applicant's pay is fixed at a stage lower than the pay which could be drawn by a direct recruit appointed on or after 1.1.2006. The order of Hon'ble CAT dated 4.4.2016 was upheld by the Hon'ble Delhi High Court in terms of their order dated 23.3.2017 in WP(C) No.2634/2017. The Hon'ble Delhi High Court in its order dated 23.3.2017 observed, inter-alia, that the plea of stepping up of pay, as mentioned in para 2 above, means that the direct recruits should have actually joined before any stepping up of pay can be granted and the date of joining would be different as filling up of direct recruit vacancies in the cadre would depend upon vacancy position, selection etc. The Hon'ble Delhi High Court held that this was unacceptable.
6. The matter arising out of the aforesaid order of Hon'ble Delhi High Court dated 23.3.2017 was heard by the Hon'ble Supreme Court as part of the SLP and in its order dated 01.09.2017 (Dy. No. 23663/2017), the Hon'ble Supreme Court has observed that once the question, in principle, has been settled, it is only appropriate on the part of the Government to issue a Circular. The Hon'ble Supreme Court further observed that the present situation is that the stepping up is available only to those who have approached the Court, but since the issue otherwise became final, the Hon'ble Supreme Court directed Government to immediately look into the matter and issue appropriate orders.
7. Accordingly, the matter has been considered in the light of the above background and in the context of the specific orders of Hon'ble Supreme Court dated 01.09.2017 as arising out of the original issue raised by the Trained Graduated Teachers of GNCTD in terms of their OA No. 3217/2014. As mentioned above, the petitioners in that case were those who were appointed as TGT before 1.1.2006 and also promoted as TGT on or after 1.1.2006, and had occasion for grievance because their pay in the pay structure in vogue from 1.1.2006 had been fixed lower than the entry pay as prescribed for direct recruits appointed as TGT on or after 1.1.2006. Therefore, the principle of the benefit of pay fixation, as flowing from the aforesaid orders of Hon'ble CAT, Hon'ble Delhi

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (टीजीटी) ने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ के समक्ष ओ ए सं. 3217/2014 दायर की थी। टीजीटी पद के 13 याचिकाकर्ताओं में 1 जनवरी, 2006 से पहले नियुक्त किए गए टीजीटी और 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात् टीजीटी के रूप में पदोन्नत अध्यापक शामिल थे। इन 13 कर्मचारियों का वेतन केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया था और यह वेतन 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात् टीजीटी पद पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त अध्यापकों के लिए लागू शुरुआती वेतन से कम था। इन याचिकाकर्ताओं ने 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त अध्यापकों के लिए यथा लागू वेतन के अनुसार अपने वेतन के पुनर्निर्धारण की प्रार्थना की थी।
5. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ ने ओ.ए.सं. 3217/2014 में दिनांक 4/4/2016 के अपने आदेश में याचिका स्वीकार कर ली और सरकार को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि किसी भी आवेदक का वेतन, 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त किसी अध्यापक द्वारा आहरित वेतन से निचले स्तर पर निर्धारित न किया जाए। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी. (सी) सं. 2634/2017 में दिनांक 23/3/2017 के अपने आदेश में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 4/4/2016 के आदेश को कायम रखा। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 23/3/2017 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की है कि उपर्युक्त पैरा 2 में यथा उल्लिखित वेतन वृद्धि के अनुरोध का अभिप्राय यह है कि सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त अध्यापक को, वास्तव में वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने से पहले कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अलग-अलग होंगी क्योंकि संवर्ग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों का भरा जाना रिक्त पदों की स्थिति, चयन आदि पर निर्भर करेगा। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
6. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23/2/2017 के उपर्युक्त आदेश से उत्पन्न मामले पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका के भाग के तौर पर सुनवाई की और दिनांक 1/9/2017 के अपने आदेश (डा.नं. 23663/2017) में यह कहा है कि सरकार के लिए यही उपयुक्त होगा कि मामले का एक बार सिद्धांततः निपटान हो जाने के बाद ही परिपत्र जारी किया जाय। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति के अनुसार वेतन वृद्धि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो न्यायालय आए हैं, चूंकि इस मामले का अन्यथा निर्णय हो गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को इस मामले की तत्काल जांच करने और उचित आदेश जारी करने का निदेश दिया।
7. तदनुसार, उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के टीजीटी द्वारा दायर ओ ए सं. 3217/2014 में उठाए गए मूल मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 1/9/2017 के विशिष्ट आदेशों के संदर्भ में, इस मामले पर विचार किया गया है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, इस मामले में याचिकाकर्ता वे अध्यापक थे जो 1 जनवरी, 2006 से पहले टीजीटी के तौर पर नियुक्त किए गए थे और जो 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद टीजीटी के तौर पर पदोन्नत किए गए थे तथा जिनके पास शिकायत का कारण था क्योंकि 1 जनवरी, 2006 से प्रचलित वेतन संरचना में उनका वेतन, 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त टीजीटी के लिए यथा-निर्धारित शुरुआती वेतन से कम निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों से स्पष्ट है कि वेतन निर्धारण के लाभ का

High Court and the Hon'ble Supreme Court, is that the pay of those who were appointed to the post prior to 1.1.2006 and those who were appointed to the post on promotion in the pay structure effective from 1.1.2006 onwards, and where in respect of such posts entry pay for direct recruits appointed on or after 1.1.2006 has been prescribed giving rise to differential pay, may not be lower than the said entry pay. It is the case of differential pay in respect of employees of a post, as caused by the existence of entry pay applicable for direct recruits on that post appointed on or after 1.1.2006, that has been addressed in the aforesaid case of the post of TGTs. In case entry pay as per Section II of Part A of the First Schedule of the CCS(RP) Rules, 2008 is not applicable in case of a post, the same will not give rise to differential pay for holders of the post and, hence, not covered under the ratio of the case of TGT.

8. Accordingly, the President is pleased to decide that in respect of those posts where entry pay for direct recruits appointed on or after 1.1.2006, as per Section II of Part A of the First Schedule of CCS(RP) Rules, 2008, becomes applicable by virtue of the provision of the element of direct recruitment in the relevant recruitment rules, the pay of Central government employees who were appointed to such posts prior to 1.1.2006 and whose pay, as fixed in the revised pay structure under Rule 7 thereof as on 1.1.2006 turns out to be lower than the prescribed entry pay for direct recruits of that post, shall not be less than such entry pay w.e.f. 1.1.2006. Likewise, the pay of Central Government employees who were appointed to such posts by way of promotion on or after 1.1.2006 and whose pay, as fixed under Rule 13 of CCS(RP) Rules, 2008, happens to be lower than the said entry pay, shall also not be less than such entry pay from the date of their promotion taking place on or after 1.1.2006.

9. In their application to the employees of office of Indian Audits and Accounts Department, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

10. Hindi version of these orders is attached.


(Amar Nath Singh)
Director

To

- 1) All Ministries / Departments of the Government of India (As per Standard List).
- 2) C&AG
- 3) UPSC
- 4) Lok Sabha Secretariat
- 5) Rajya Sabha Secretariat
- 6) NIC

सिद्धांत यह है कि ऐसे कर्मचारियों का वेतन, जिनकी नियुक्ति 1.1.2006 से पहले उस पद पर की गई थी और जो 1.1.2006 से लागू वेतन संरचना में पदोन्नति के पश्चात् उस पद पर नियुक्त किए गए थे और जहां ऐसे पदों के संबंध में 1.1.2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए शुरुआती वेतन निर्धारित किया गया है जिससे वेतन में अंतर पैदा होता है, उक्त शुरुआती वेतन से कम नहीं हो सकता। यह किसी पद के कर्मचारियों के संबंध में वेतन में अंतर का मामला है, जो 1.1.2008 को या उसके बाद सीधी भर्ती के आधार पर उस पद पर नियुक्त कर्मचारी के लिए लागू शुरुआती वेतन के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसका टीजीटी के पद के उक्त मामले में समाधान कर दिया गया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग-क के खण्ड 2 के अनुसार, यदि किसी पद के मामले में शुरुआती वेतन लागू नहीं होता, तो इससे पदधारकों के लिए वेतन में अंतर पैदा नहीं होगा और इसलिए, टीजीटी के मामले के अनुपात के तहत यह शामिल नहीं होगा।

8. तदनुसार, राष्ट्रपति सहर्ष विनिश्चय करते हैं कि ऐसे पदों के संबंध में, जहां केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग-क के खण्ड 2 के अनुसार, 1.1.2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए शुरुआती वेतन, संगत भर्ती नियमों में सीधी भर्ती के कारक के प्रावधान के कारण लागू होता है, केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों का वेतन जिनकी ऐसे पदों पर नियुक्ति 1.1.2006 से पहले की गई थी और जिनका 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार उक्त नियमावली के नियम 7 के तहत संशोधित वेतन संरचना में यथा-निर्धारित वेतन, उस पद पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के लिए निर्धारित शुरुआती वेतन से कम होता है, तो वह 1.1.2006 से ऐसे शुरुआती वेतन से कम नहीं होगा। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों का वेतन, जो पदोन्नति के पश्चात् 1.1.2006 को या उसके बाद ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए थे और जिनका केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 13 के तहत यथा-निर्धारित वेतन उक्त शुरुआती वेतन से कम होता है, भी 1.1.2006 को या उसके बाद हुई उनकी पदोन्नति की तारीख से ऐसे शुरुआती वेतन से कम नहीं होगा।

9. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद जारी किए जाते हैं।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)

निदेशक

सेवा में

- 1) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)
- 2) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
- 3) संघ लोक सेवा आयोग
- 4) लोक सभा सचिवालय
- 5) राज्य सभा सचिवालय
- 6) एनआईसी